कार्यालय अंचल अधिकारी, तोरपा।

वाद अभिलेख सं0 45/17-18 (अन्तर्गत धारा 4(h) BLR Act. 1950)

आदेश पत्रक सं0 .... से .... तक

वाद का प्रकार :– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् जाँच एवं कार्रवाई

आदेश का क्रमांक तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई टिप्पणी आदेश
04-10-17	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू0–अर्जन–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0–3 –खा0म0निति–119/85/2308/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि में कायम की गई जमाबंदियों जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया कि मौजा रायसेमला थाना तोरपा खाता सं0 180 प्लॉट सं0 324 रकबा 3.00 एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास अनाबद बिहार (झारखण्ड) सरकार की खाते की सरकारी भूमि जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं0 .... पृष्ठ सं0 .... पर जमाबंदी रैयत साधो मुण्डा पिता/पति का नाम .... से कायम है। यह जमाबंदी संदिग्ध है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध सादाहुकुनामा कायम की गयी है। जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टय उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू0–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज/ निर्गत लगान रसीद की मांग करे तथा उनको कारण–पृच्छा करे कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हेतु इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्ध करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख दिनांक 20-10-17 को उपस्थापित करें। [signature] 04/10/17 लेखापित एवं संशोधित — अंचल अधिकारी तोरपा	

...श का क्रमांक	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी आदेश
6.09.2021	अभिलेख उपस्थापित नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। राजस्व उप निरीक्षक का अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जमाबंदी रैयत साधो मुण्डा वगै0 पिता राना मुण्डा के वंशजो द्वारा निबंधित पट्टा लगान रसीद संख्या 007297 प्रस्तुत किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। कि मौजा रायशिमला खाता संख्या 100 प्लॉट संख्या 324 से संबंधित नहीं है। प्लॉट संख्या 324 खाता संख्या 102 खतियान में जीरात दर्ज है लगान पाने वाला का नाम में भैरोनाथ राय दर्ज है। अतः राजस्व उप निरीक्षक , अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन अनुसार मौजा रायशिमला प्लॉट संख्या 324 खाता संख्या 102 रकबा 3.00 एकड़ रैयती भूमि से संबंधित है। आर0 एस0 खतियान में रैयत जीरात नाम लगान पाने वाला भैरोनाथ राय के नाम दर्ज है। खाता संख्या 102 रैयती खाता से संबंधित होने के कारण मौजा रायशिमला की पंजी II के भोल्युम संख्या II के पृष्ठ संख्या 51 पर कायम जमाबंदी के विरूद्ध 4h वाद संख्या 45/16–17 के तहत् प्रारंभ की गयी कार्रवाई बंद की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 6.9.21 अंचल अधिकारी तोरपा 6.9.21 अंचल अधिकारी तोरपा	

संदिग्ध /अनियमित जमाबंदी से संबंधित

:– चेकलिस्ट :–

वाद सं० :– 45/16-17

1. जिला एवं अंचल का नाम :– जिला - खूँटी, अंचल - तोरपा
2. (क) अवैध जमाबंदीदार का नाम :– साधो मुण्डा वो० पिता - राना मुण्डा

   (ख) अवैध जमाबंदी में सन्निहित भूमि की विवरणी :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
रायशिमला ~~100~~	12	100	324	3·00	जोशत	टांड़ 3

3. भूमि का वर्त्तमान स्वरूप :–
4. अनियमित जमाबंदी पंजी II में कब से संधारित है और किसके नाम से ? :–
5. अनियमित जमाबंदीदार द्वारा आवासीय सहित पूर्व से धारित कुल भूमि का रकबा :–
6. नामांतरण / दाखिल खारिज के उपरांत संधारित जमाबंदी के मामलों मे मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :–

(3–6) रैयती भूमि है

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार :–

   (i) अनिबंधित सादा हुकुमनामा :–

   (ii) लगान निर्धारण एवं उसका वर्ष :–

   (iii) अवैध भू बंदोबस्ती (वाद सं0 के साथ) भू–दान सहित :–
8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथा कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य :–

(7–8) रैयती भूमि है

9. अवैध जमाबंदी की जांच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :–

   (i) भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिर्टन से :–

   (ii) अंचल / अनुमण्डल में संधारित बंदोबस्ती पंजी से :–

   (iii) दाखिल खारिज / भू हस्तांतरण नामांतरण पंजी से :–
10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम है :–

    (ख) क्या दिनांक 01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद साल दरसाल निर्गत है :–
11. क्या दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955–56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद राजस्व रसीद निर्गत है?

(9–11) रैयती भूमि है।

12. वर्ष 1954–55 में हुए फिल्ड बुझारत पंजी में दखल कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था?

13. राजस्व उप निरी० का जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित प्रस्ताव :–

सेवा में,
अंचल अधि० तोरपा।

महाशय,
मि० वाद सं० 45/16-17 मौजा रायसेमला का खाता नं० 100 प्लॉट नं० 324 का है। प्लॉट नं० 324 खाता नं० 102 की भूमि है खतियान में खाता नं० 102 जीरात दर्ज है जो रैयती भूमि है। अतः श्रीमान को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 2-5-17

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जांचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रस्ताव :–

MH की कार्यवाही (खतियान में जीरात रहने के कारण), समाप्त की जा सकती है

(हस्ताक्षर) C.I.

(हस्ताक्षर) 14/09/2021

(हस्ताक्षर) 14.9.21

राजस्व उप निरी०	अंचल निरीक्षक	अंचल अधिकारी तोरपा	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता खूँटी	अनुमण्डल पदा० खूँटी	अपर समाहर्त्ता/ अपर उपायुक्त खूँटी	उपायुक्त खूँटी

Digitally signed by Sachidanand Kumar Verma
Date: 2021.09.29 15:20:40 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:cc3:3a72:62dc:f321